



मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय



कोलार रोड, गोपाल-462016, दूरभाष -0755-2492095

(मध्यप्रदेश विधानसभा एक्ट 1991 द्वारा स्थापित एवं आर.सी.आई. से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम)

एम.एड. (विशेष शिक्षा-दूरस्थ शिक्षा) VI/ID/HI/LD 2.5 वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2024-27

प्रवेश सूचना

1. कार्यक्रम	B.Ed. (Special Education-Distance Education) VI/ID/HI/LD
2. स्वीकृत सीट समयावधि	100 न्यूनतम 02 वर्ष 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष
3. पात्रता	(a) वह अभ्यर्थी जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विकलांगता क्षेत्र (दृष्टि बाधित (VI), श्रवण बाधित (HI), बौद्धिक विकलांगता (ID), अधिगम अक्षमता (LD), में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो या किसी भी संबद्ध विश्वविद्यालय और/या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय के तहत शिक्षण विभाग से RCI पंजीकरण के साथ B.Ed. (विशेष शिक्षा) के समकक्ष मानी जाने वाली कोई अन्य डिग्री उत्तीर्ण की हो। (b) वह अभ्यर्थी जिसने बी.ए.सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विकलांगता क्षेत्र में विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (D.Ed. Spl. Edu.) सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो और प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50% अंकों के सफलतापूर्वक पूरा किया हो। (c) विशेष शिक्षा में पी.जी. डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी (शैक्षणिक सत्र 2014-15 तक) (d) बी.ए./बी.एससी/बी.कॉम, बी.एड. विशेष शिक्षा (4 वर्ष एकीकृत पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण छात्र। (e) अभ्यर्थी के पास वैध आर.सी.आई. पंजीकरण होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के लिए स्थान आरक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा।
4. आवेदन का तरीका एवं माध्यम	आवेदन दिये गये link के माध्यम से दिनांक 26.10.2024 से 07.11.2024 तक ऑनलाइन भरे जायेंगे, परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 08.11.2024 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpbou.edu.in पर प्रकाशित होगी।
5. प्रवेश के मानदण्ड	प्रवेश परीक्षा (50 अंक) में अर्जित प्राप्तांकों (जिसमें 25 प्रश्न शिक्षण योग्यता एवं 25 प्रश्न दिव्यांगता विशेषज्ञता पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे तथा माइनस मार्किंग होगी)
6. प्रवेश तिथि एवं समय	ऑफलाइन माध्यम से दिनांक 10.11.2024 समय 12:00 बजे आयोजित होगी।
7. प्रदेश सूची	प्रावीण्य सूची वि.वि. की वेबसाइट www.mpbou.edu.in पर उपलब्ध होगी।
8. अभिलेख सत्यापन	परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत काउन्सलिंग के लिए विश्वविद्यालय में अभिलेखों का सत्यापन किया जायेगा तदुपरांत अध्ययन केन्द्र आवंटित किये जायेंगे। प्रवेश उपरांत अध्ययन केन्द्र परिवर्तित नहीं होगा।
9. सम्पर्क कार्यक्रम	सम्पर्क कार्यक्रम का आयोजन प्रवेश काउन्सलिंग उपरांत विश्वविद्यालय में स्थित अध्ययन केन्द्रों पर वर्ष में दो बार किया जायेगा।
10. पाठ्यक्रम शुल्क	एम.एड. (विशेष शिक्षा) हेतु रु. 55,000/- (रु. पचपन हजार मात्र) एवं पंजीयन शुल्क रु. 2000/- निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउन्सलिंग के समय ऑफलाइन के माध्यम से कुलसचिव म.प्र.भोज मुक्त वि.वि., गोपाल को देय होगी। प्रवेश उपरांत शुल्क राशि वापस नहीं की जायेगी।


कुलसचिव